[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2020 का विधेयक संख्यांक २१

[दि इपीडेमिक डिजीज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020

महामारी अधिनियम, 1897
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह 22 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 1 का संशोधन ।

1897 का 3

2. महामारी अधिनियम, 1897 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में, "उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो 1 नवंबर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 1क का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

परिभाषाएं ।

'1क. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "हिंसा का कृत्य" के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी महामारी के दौरान सेवा करने वाले किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध किया गया निम्नलिखित कोई भी कृत्य आता है, जो—

(i) ऐसा उत्पीड़न करता हो या कर सके, जिससे ऐसे स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक की जीविका या कार्य दशा पर प्रभाव पड़ता है और उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करता है ;

(ii) या तो किसी नैदानिक स्थापन के परिसर के भीतर या अन्यथा ऐसे स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक को नुकसान, क्षति, उपहति, अभित्रास या जीवन के लिए जोखिम कारित करता हो या कारित कर सके ;

(iii) या तो किसी नैदानिक स्थापन के परिसर के भीतर या अन्यथा ऐसे स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा या प्रतिबाधा उत्पन्न करता हो या कर सके ; या

(iv) ऐसे स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक की अभिरक्षा में या उससे संबंधित किसी संपत्ति या दस्तावेजों को हानि या नुकसान कारित करता हो या कर सके ;

(ख) "स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो महामारी से संबंधित उत्तरदायित्वों के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय प्रभावित रोगी के सीधे संपर्क में आए और जो उसके द्वारा ऐसे रोग से प्रभावित होने की जोखिम पर हो तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) ऐसा कोई भी पब्लिक और नैदानिक स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता जैसे डाक्टर, नर्स, पराचिकित्सीय कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ;

(ii) महामारी के प्रकोप या उसके फैलाव को रोकने के उपाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति ; और

(iii) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित कोई भी व्यक्ति ;

(ग) "संपत्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,—

(i) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 में यथा परिभाषित कोई नैदानिक स्थापन ; 2010 का 23

(ii) किसी महामारी के दौरान रोगियों के करंतीन और पार्थक्य के लिए स्थापित कोई भी सुविधा ;

(iii) कोई चल चिकित्सा यूनिट ; और

(iv) कोई भी अन्य संपत्ति, जिसमें महामारी के संबंध में कोई स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक प्रत्यक्ष हित रखता है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और वायुयान अधिनियम, 1934 या भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमश: उनके हैं ।'।

1908 का 15
1934 का 22
2010 का 31

धारा 2क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 2क में, "तब केंद्रीय सरकार उन राज्यक्षेत्रों में" से आरंभ होने वाले और "कर सकेगी, जो आवश्यक हो" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"तब केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय कर सकेगी, जो वह ठीक समझे और उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, यथास्थिति, किसी भूमि पत्तन या पत्तन या हवाई अड्डा को छोड़ने वाली या उसमें आने वाली किसी बस या ट्रेन या माल वाहन या पोत या जलयान या वायुयान के निरीक्षण के लिए और उसमें यात्रा करने का आशय रखने वाले या उसके द्वारा आने वाले किसी व्यक्ति के निरोध के लिए ऐसे विनियम विहित कर सकेगी, जो आवश्यक हों" ।

नई धारा 2ख का अंत:स्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 2क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा और संपत्ति को नुकसान का प्रतिषेध ।

"2ख. कोई भी व्यक्ति, किसी महामारी के दौरान किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा का कोई भी कृत्य करने या किसी संपत्ति को कोई भी नुकसान या हानि कारित करने में लिप्त नहीं होगा ।"।

धारा 3 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जो कोई,—

(i) किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा का कोई कृत्य करता है या करने के लिए उत्प्रेरित करता है ; या

(ii) किसी संपत्ति को नुकसान या हानि कारित करता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है,

ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

(3) जो कोई किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा का कोई कृत्य करते समय ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में यथा परिभाषित घोर उपहति कारित करता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पाँच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।"।

1860 का 45

नई धारा 3क, धारा 3ख, धारा 3ग, धारा 3घ और धारा 3ङ का अंत:स्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अपराधों का संज्ञान, अन्वेषण और विचारण ।

'3क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,— 1974 का 2

(i) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ;

(ii) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी मामले का अन्वेषण निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा ;

(iii) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी मामले का अन्वेषण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(iv) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी मामले की प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां यथाशक्य शीघ्र की जाएंगी और विशिष्टतया जब एक बार साक्षियों की परीक्षा आरंभ हो जाती है तो उसे तब तक दिन-प्रतिदिन जारी रखा जाएगा जब तक कि उपस्थित साक्ष्यों की परीक्षा नहीं कर ली जाती, जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे अगले दिन से आगे के लिए स्थगित करने के लिए आवश्यक नहीं पाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा कि जांच या विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त किया जाएगा :

परंतु जहां विचारण उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं किया जाता है, वहां न्यायाधीश ऐसा नहीं किए जाने के कारण लेखबद्ध करेगा :

परंतु यह और कि उक्त अवधि को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी और अवधि के लिए बढाया जा सकेगा किंतु जो एक बार में छह मास से अधिक की नहीं होगी ।

कतिपय अपराधों का शमन ।

3ख. जहां किसी व्यक्ति को धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां ऐसे अपराध का उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध हिंसा का ऐसा कृत्य किया गया है, न्यायालय की अनुज्ञा से शमन किया जा सकेगा ।

कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा ।

3ग. जहां किसी व्यक्ति को धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है ।

आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा ।

3घ. (1) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध के किसी भी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति अपेक्षित है, वहां न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के विद्यमान होने की उपधारणा करेगा किंतु अभियुक्त के पास इस तथ्य को साबित करने की प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित होना केवल तभी कहा जाएगा जब न्यायालय उसे युक्तियुक्त संदेह से परे होने का विश्वास करता है और केवल इसलिए नहीं जब उसका विद्यमान होना प्रबल संभावना द्वारा सिद्ध किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अंतर्गत आशय, हेतु, तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य का विश्वास या विश्वास करने का कारण आते हैं ।

हिंसा के कृत्य के लिए प्रतिकर ।

3ङ. (1) धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त इस प्रकार दोषसिद्ध व्यक्ति प्रतिकर के रूप में किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक को उपहति या घोर उपहति कारित करने के लिए ऐसी रकम का संदाय करने का भी दायी होगा, जो न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए ।

(2) धारा 3ख के अधीन किसी अपराध के शमन के होते हुए भी किसी संपत्ति को नुकसान या की गई हानि की दशा में संदेय प्रतिकर की रकम, नुकसान की गई संपत्ति या की गई हानि के उचित बाजार मूल्य का दुगना होगी, जो न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने में असफल होने पर ऐसी रकम की वसूली, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।'।

1890 का 1

निरसन और व्यावृत्तियां ।

2020 का अध्यादेश सं0 5

8. (1) महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महामारी अधिनियम, 1897 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम दवारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

1897 का 3

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महामारी अधिनियम, 1897 खतरनाक महामारी के प्रसार के बेहतर निवारण का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । अधिनियम, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को, जब कभी किसी खतरनाक महामारी की आशंका होती है या उसका प्रकोप होता है, उसके लिए उपाय करने और विनियम विहित करने के लिए सशक्त करता है ।

2. वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान, ऐसे उदाहरण रहे हैं, जब ऐसे देखरेख सेवा कार्मिकों को, जो ऐसी बीमारी का मुकाबला करने में सबसे आगे हैं, बदमाशों द्वारा लक्ष्य बनाए जाने और उन पर हमला किए जाने के अतिरिक्त, कलंकित और बहिष्कृत किया गया है । ऐसी घटनाओं से स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिकों के मनोबल को गहरी चोट पहुंची है, जिसका परिणाम उन्हें उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना है, और परिणामस्वरूप, कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के संपूर्ण प्रयास को स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिकों, उनकी संपत्ति और स्वास्थ्य देखरेख सुविधा पर ऐसे हमलों के कारण क्षति पहुंची है ।

3. यद्यपि राज्य सरकारों ने चिकित्सकों और अन्य चिकित्सीय कार्मिको को संरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष विधियां अधिनियमित की हैं, इनमें अंतर्विष्ट उपबंधों का अधिक फोकस कार्यस्थलों पर शारीरिक हिंसा की ओर है और इनके शास्तिक उपबंध की जा रही ऐसी रिष्टि को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर नहीं हैं । महामारी अधिनियम, 1897, स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिकों पर की गई हिंसा या उत्पीड़न के ऐसे कृत्यों के लिए प्रभावी निवारण के लिए उपबंध नहीं करता है । अतः, हिंसा के ऐसे अभूतपूर्व कृत्यों, जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न तथा संपत्ति को हुआ नुकसान भी है, को रोकने के लिए ऐसी उपयुक्त विधि बनाना अत्यन्त आवश्यक था, जो स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिकों को संरक्षा प्रदान करती हो ।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और इस संबंध में अत्यावश्यक विधान बनाया जाना अपेक्षित था, अतः, राष्ट्रपति ने, 22 अप्रैल, 2020 को, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया था ।

5. महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020, जो महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं0 5) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, निम्नलिखित का उपबंध करता है :—

(i) महामारी के प्रकोप या उसके प्रसार को रोकने के लिए कोई उपाय करने हेतु केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को समवर्ती शक्तियां प्रदान करना ;

(ii) केंद्रीय सरकार को सशक्त करके, धारा 2क के कार्यक्षेत्र को विस्तृत बनाना, जिससे ऐसे राज्यक्षेत्रों में, जिन पर उक्त अधिनियम का विस्तार है, किसी भूमि पत्तन, पत्तन या हवाई अड्डे को छोड़ने वाली या उसमें आने वाली किसी बस, ट्रेन, माल वाहन, पोत, जलयान या वायुयान के निरीक्षण और किसी व्यक्ति के निरोध को, जहां कहीं आवश्यक हो, विनियमित किया जा सके ;

(iii) प्रभावी भयोपरापी के रूप में कार्य करने के लिए निम्नानुसार कठोर उपबंध :—

(क) हिंसा के कृत्यों को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध बनाना ;

(ख) हिंसा के कृत्य करना या उनका दुष्प्रेरण ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ;

(ग) घोर उपहतिकारित करने के लिए, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ;

(घ) इसके अतिरिक्त, दोषसिद्ध व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर जो नुकसान की गई संपत्ति या कारित हानि के उचित बाजार मूल्य की रकम का दुगना होगा, जैसा न्यायालय अवधारित करे, का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ;

(iv) अन्वेषण और विचारण का यह उपबंध करके शीघ्र समापन करना कि अपराध का अन्वेषण तीस दिन की अवधि के भीतर निरीक्षक की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और विचारण एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा, जब तक यह न्यायालय द्वारा, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, बढ़ा नहीं दिया जाए ।

6. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
5 अगस्त, 2020

डॉ. हर्ष वर्धन

उपाबंध

महामारी अधिनियम, 1897(1897 का अधिनियम संख्यांक 3) से उद्धरण

* * * * *

संक्षिप्त नाम और विस्तार ।

1. (1) * * * *

(2) इसका विस्तार, उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे सम्पूर्ण भारत पर है ।

* * * * *

केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ।

2क. जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया हो कि भारत अथवा उसके अधीन किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है और तत्समय प्रवृत्त विधि के साधारण उपबन्ध उस रोग के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तब केन्द्रीय सरकार उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, किसी पत्तन को छोड़ने वाले या उसमें आने वाले किसी पोत या जलयान के निरीक्षण के लिए और उसके, या उसमें यात्रा करने का आशय रखने वाले या उससे आने वाले किसी व्यक्ति के, निरोध के लिए उपाय कर सकेगी और ऐसे विनियम विहित कर सकेगी जो आवश्यक हों ।

शास्ति ।

3. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम या आदेश की अवज्ञा करने वाले किसी व्यक्ति के विषय में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है । 1860 का 45

* * * * *

MGIPMRND—387RS(CRC)—09-09-2020.